न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 19/2025

तारीख रजू:– 03.02.2025

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1.	दिनेश	समस्त पिसरान स्वः बाबूलाल
2.	सरोज	जाति जाटव, निवासी परसादी का पुरा,
3.	सपना	वार्ड नबर 40, हिण्डौन सिटी
4.	रचना	जिला करौली राजस्थान। ————————————सायलान

बनाम

1. द्रोपती पत्नी हरीसिंह जाति जाटव निवासी परसादी का पुरा, हिण्डौन जिला करौली
2. केशपति पत्नी मोहन, जाति जाटव, निवासी परसादी का पुरा, हिण्डौन जिला करौली
3 फूलन्ती पत्नी राजेश, जाति जाटव, निवासी परसादी का पुरा हिण्डौन जिला करौली
4 महेश पुत्र स्व. मूलचन्द, जाति जाटव, निवासी दिदोरा, तहसील सूरौठ जिला करौली
5. लज्जादेवी पत्नी अतरसिह, जाति जाटव, निवासी परसादी का पुस वार्ड नं. 40 हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ————————————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री संजय शर्मा एडवोकेट सायलान

2. श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :– 06.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 मे दर्ज किया है कि सम्मानीय अदालत में सायलान ने गैरसायलान व दावे के अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा बावत् तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर दिया है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 मे दर्ज किया है कि कृषि भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत 2074 से स्थायी, खाता संख्या नया 1926 खसरा नम्बर 9188 रकवा 0.1800 हैक्टेयर चाही। खसरा नम्बर 9189 रकवा 0.1500 हैक्टेयर चाही–1, खसरा नम्बर 9190 रकवा 0.1000 हैक्टेयर चाही–1 खसरा नम्बर 9191 रकवा 0.5500 हैक्टेयर वारानी–1, खसरा नम्बर 9192 रकवा 0.3700 हैक्टेयर वारानी–1, खसरा नम्बर 9193 रकवा 0.3700 हैक्टेयर वारानी–1 खसरा नम्बर, 9203 रकवा 0.1900 हैक्टेयर वारानी–1 कुल खसरा–7 कुल रकवा 1.9100 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डौन ए बी सी डी, पटवार हल्का हिण्डौन, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हिण्डौन, तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 मे दर्ज किया है कि उपरोक्त भूमि मुतजिकरा मद नम्बर 2 प्रार्थना–पत्र के सायलान वहिस्सा 13/60 भाग के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, शेष भूमि के 113/660 भाग का दावे का प्रतिवादी नंबर 1 अतरसिंह, 1/22 भाग के दावे के प्रतिवादी नम्बर 2 ता 11, 1/4 भाग के दावे के प्रतिवादी नंबर 12 ता 18, दावे के प्रतिवादी नंबर 19 ता 21 प्रत्येक 1/20 भाग का तथा दावे के प्रतिवादी नंबर 22, 1/6 भाग के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 मे दर्ज किया है कि उक्त भूमियों के रिकार्डेड खातेदार बाबूलाल, चैनबाई, श्योनारायण फोत हो चुके है। मृतक बाबूलाल के वारिसान सायलान है तथा मृतक चैनबाई के वारिसान दावे के प्रतिवादी नंबर 12 ता 18 है एवं मृतक श्योनारायण के वारिसान दावे के प्रतिवादी नंबर 1 ता 11 है, इसलिए इन्हें दावे में प्रतिवादी बनाया है। गैरसायल नंबर 01 ता 03. दावे के प्रतिवादी नंबर 2 ता 4 की पत्नियां है जो गैरसायल नं. 4 व 5 के साथ मिलकर सायलान की कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करती रहती है. इसलिए इन्हें गैरसायलान बनाया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 मे दर्ज किया है कि उपरोक्त भूमि मुतजिकरा मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र सायलान व गैरसायल नं. 4–5 व दावे के अन्य प्रतिवादी नंबर 1 ता 21 की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। अभी तक उपरोक्त भूमि का कानूनी तौर पर विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। काश्त की सुविधा के लिए अपने–अपने हिस्से को बांट रखा है। हिस्से अनुसार सायलान एवं गैरसायल न 4–5 व दावे के अन्य प्रतिवादी काबिज आराजी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 मे दर्ज किया है कि उपरोक्त भूमि मुतजिकरा मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र के किसी भी भाग से गैरसायल नं. 1 ता 3 का कोई सम्बन्ध नहीं है। गैरसायल नंबर 1 ता 3 गैरसायल नंबर 4 महेश व गैरसायल नंबर 5 लज्जादेवी के साथ

मिलकर सायलान के कब्जे काश्त में आए दिन व्यवधान पैदा करते रहते है। गैरसायलान लठैत तथा उद्दण्ड प्रकृति के व्यक्ति है जो सायलान से रंजिश रखते है। लट्ठ के बल पर सायलान के हिस्से की भूमि पर कब्जा करना चाहते है और सायलान को अपनी खातेदारी की भूमि से बेदखल करना चाहते है। बिना बंटवारा कराए भूमि को खुर्द–बुर्द / रहन व्यय करने की धमकी देते है जबकि सायलान सीधे–सादे सज्जन व्यक्ति है। जबरदस्ती मुताबिक हिस्से अनुसार की आराजी पर खुलेआम दिनांक 10.01.2025 को धमकी भी दी है कि गैरसायलान, सायलान को उनके हिस्से की आराजी से बेदखल कर देंगे। सायलान को काश्त नहीं करने देंगे। सायलान के हिस्से की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करेंगे। जिस पर सायलान ने गैरसायलान से बंटवारा करने की कहा तो इन्कार हो गए। वदी वजह सायलान अपने हिस्से की आराजी पर अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन करा पाने के अधिकारी है इसलिए दावा हाजा तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिम आया।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 मे दर्ज किया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अतुल्य क्षति का सिद्वान्त सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिये गैरसायलान को टी.आई आदेश से पाबन्द करना निहायत जरूरी है। यदि गैरसायलान को टी.आई से पाबन्द नहीं किया गया तो सायल को अपूर्त हानि होगी। जिसकी पूर्ति इन टर्मस आफॅ मनी भी पूर्ण नहीं हो पायेगी।

अतः प्रार्थना पत्र टी. आई पेश कर अर्ज है कि दौराने दावा गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा (टी.आई) पार्बन्द किया जावे कि गैरसायलान ना तो स्वय और ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से खसरा नम्बरान 9188, 9189, 9190, 9191, 9192, 9193, 9203 वाके ग्राम हिण्डौन सिटी, पटवार हल्का हिण्डौन सिटी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हिण्डौन सिटी, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली के सायलान के 13/60 हिस्से के कब्जे काश्त में माने मजाहमत मदाखलत वेजा पैदा ना करें। सायलान को अपने हिस्से की भूमि को शांतिपूर्वक काश्त करते रहने देवें। सायलान को अपने हिस्से से बेदखल ना करें। गैरसायलान विवादित भूमि को वेस्ट, डैमेज एण्ड ऐलीनेट ना करें। बिना विधिवत बंटवारा कराए विवादित भूमि के किसी भी भाग को रहन व्यय ना करें। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करें, ना ही किसी अन्य से करावें जिससे हकूक सायलान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ें। हक तलफी हो। राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 26.08.2025 को गैरसायलान बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये

तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 1 गलत होने के कारण अस्वीकार है। सायलान ने दावा हाजा व प्रार्थना पत्र गलत तथ्य दर्ज कर पेश किये है। जिनमें सायलान को सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 2 स्वीकार है। उक्त मद में दर्ज खसरा नम्बरान कस्बा हिण्डौन सिटी में होना स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 3 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है। गलत होने के कारण अस्वीकार है। सायलान ने मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा अनुसार हिस्सा दर्ज नहीं किये गये है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 4 गलत होने के कारण अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 5 स्वीकार है। सभी सहखातेदारान अपने हिस्से की भूमि पर मनबटनी के मौके पर काबिज काश्त है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 6 गलत होने के कारण अस्वीकार है। सायल ने इस मद में सभी बातें गलत व मनगढन्त दर्ज की है। सायलान व गैरसायलान अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। दिनांक 10.01.2026 को गैरसायलान ने किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी। सायलान व गैरसायलान विवादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है। तथा सभी अपने अपने हिस्से की भूमि पर शान्ति पूर्वक काबिज काश्त है। कभी भी मौके पर कोई विवाद नहीं हुआ सायलान ने गैरसायलान को परेशान करने के लिये मनढन्त तथ्य लिखकर दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 7 गलत होने के कारण अस्वीकार है। सायलान का प्राईमा फेसी केश, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त सायलान के पक्ष में साबित नहीं है। विवादग्रस्त भूमि सह खातेदारी की भूमि है। इसलिये कानूनन कोटीनेन्ट के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावें।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071– 74, नकल नक्शा सीट, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 741224017209 दिनेश पुत्र बाबूलाल निवासी परसादी का पुरा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली, पेश किये है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071– 74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 9188 रकबा 0.18 है0, 9189 रकबा 0.15 है0, 9190 रकबा 0.10 है0, 9191 रकबा 0.55 है0, 9192 रकबा 0.37 है0, 9193 रकबा 0.37 है0, 9203 रकबा 0.19 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.91 है0, वाके ग्राम हिण्डौन की खातेदारी अतरसिंह पुत्र श्यौनारायण हि0 1/6, चैनवाई पुत्री मूला हि0 1/4, दिनेश पुत्र बाबूलाल हि0 1/80, प्रेम पुत्री गुलचंद हि0 1/20, बाबूलाल पुत्र मूलचन्द उर्फ दुल्लीचन्द हि0 1/6, रंगीलाल पुत्र गुलचंद हि0 1/20, रचना पुत्री बाबूलाल हि0 1/80, रामवाई पुत्री गुलचन्द हि0 1/20, लज्जादेवी पत्नि अतरसिंह हि0 1/6, श्योनारायण पुत्र गुलचन्द हि0 1/20, सपना पुत्री बाबूलाल हि0 1/80, सरोज पुत्री बाबूलाल हि0 1/80 जाति जाटव निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 741224017209 दिनेश पुत्र बाबूलाल निवासी परसादी का पुरा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी में सायलान रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 9188 रकबा 0.18 है0, 9189 रकबा 0.15 है0, 9190 रकबा 0.10 है0, 9191 रकबा 0.55 है0, 9192 रकबा 0.37 है0, 9193 रकबा 0.37 है0, 9203 रकबा 0.19 है0 कुल किता 7 कुल

रकबा 1.91 है0, वाके ग्राम हिण्डौन में सायलान कुल हिस्सा 1/20 भाग के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा 1/6 हिस्से की गैरसायला सं0 5 रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। सायलान उक्त विवादित आराजीयात में रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण दावे के निस्तारण तक गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी साबित हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित होता है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे इसलिए गैरसायलान को उक्त विवादित आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 9188 रकबा 0.18 है0, 9189 रकबा 0.15 है0, 9190 रकबा 0.10 है0, 9191 रकबा 0.55 है0, 9192 रकबा 0.37 है0, 9193 रकबा 0.37 है0, 9203 रकबा 0.19 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.91 है0, वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 6/2/26

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन जिला करौली